उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

संख्या-13/2015/324/38-4-2015-57 (विविध)/2014

लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2015

उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में मौलिक चिन्तन विकसित करने एवं उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण अंचलो में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना, जलापूर्ति तथा रोजगार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदेश का चतुर्मुखी विकास करने हेतु शासकीय योजनाओं में सहयोग करने और इनमें गति लाने की दृष्टि से मेसर्स एच0सी0एल0 फाउण्डेशन, नई दिल्ली द्वारा अपनी कार्पोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी **(Corporate Social Responsibility)** के अन्तर्गत "समुदाय परियोजना" का संचालन प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना में एच0सी0एल0 फाउण्डेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के चयनित ग्राम समूहों के समग्र विकास के लिए राज्य की विकास योजनाओं में तकनीकी सहयोग आदि कार्य निष्पादित एम0ओ0यू0 **(Memorandum Of Understanding)** दिनांक 06.02.2015 के अन्तर्गत किया जायेगा। समुदाय परियोजना के लिए राज्य सरकार एवं एच0सी0एल0 फाउण्डेशन के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 **(Memorandum Of Understanding)** में राज्य सरकार द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति, सम्बन्धित शासनादेशों को जारी करना, डेटा कलेक्शन, योजनाओं में परिवर्तन, परियोजना हेतु वित्तीय संसाधन, ग्रामों का चयन तथा उत्त्रदायित्व निर्धारण आदि वर्णित है।

2- उपर्युक्त कार्यो की समीक्षा एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर **प्रोजेक्ट मानीटरिंग कमेटी (Project Monitoring Committee)** गठित किये जाने का निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

(1)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(2)	कृषि उत्पादन आयुकत, उत्तर प्रदेश शासन।	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त् विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(5)	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(6)	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य/नोडल अधिकारी
(7)	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(8)	प्रमुख सचिव/सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(9)	प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(10)	प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(11)	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(12)	प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(13)	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(14)	प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(15)	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(16)	प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(17)	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(18)	प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव/सचिव, मतस्य विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(20)	आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ।	सदस्य
(21)	अधिशाषी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(22) अपर आयुक्त, मनरेगा, लखनऊ। सदस्य

(23) राज्य स्तर पर समुदाय परियोजना के लिये
नामित अधिकारी। सदस्य

(24) एच0सी0एल0 फाउण्डेशन द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य

3- प्रोजेक्ट मानीटरिंग कमेटी की बैठक त्रैमास में एक बार निश्चित रूप से आहूत की जायेगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या- 13/2015/324**(1)/38-4-2015, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन उत्त्र प्रदेश लखनऊ।
5- श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव ट्रस्टी, एच0सी0एल0 फाउण्डेशन 806 सिद्वार्थ 96 नेहरू प्लेस नई दिल्ली
6- सम्बन्धित निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- सम्बन्धित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।